

प्रेषक,

शैली राय,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, फर्रुखाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय-फर्रुखाबाद।

पत्रांक:

दिनांक: अक्टूबर 31, 2022

विषय: पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा कतिपय पुस्तकें लिखी गयी हैं जिनका मैं आन लाइन प्रकाशन कराना चाहती हूँ। उपरोक्त पुस्तकें किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष, व्यक्ति विशेष अथवा राजनैतिक एवं किसी भी विवादित विषय से सम्बन्धित नहीं है। उक्त पुस्तकें पूर्णतः साहित्यिक रचना हैं जो कि किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं हैं और न ही न्याय पालिका अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं। उपरोक्त पुस्तकों के प्रकाशन से न्याय पालिका, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की गरिमा पर कोई ठेस नहीं पहुँचती है। उपरोक्त पुस्तकों के प्रकाशन से जो भी आय मुझे होगी उस पर मैं नियमानुसार सरकार को कर अदा करूँगी।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे मेरे द्वारा लिखी गयी पुस्तकों का आन लाइन प्रकाशन कराये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 29-10-2022

भवदीया

(शैली राय)

अपर प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय-फर्रुखाबाद।